

कार्यालय ग्राम पंचायत/पंचायत समिति बीकानेर, जिला बीकानेर

क्रमांक: 1181

दिनांक:- 11/5/26

ई-निविदा सूचना संख्या04..... (वित्तीय वर्ष 2026-27)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति बीकानेर के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म/शर्तें ऑनलाईन/कार्यालय में उपलब्ध है।

क.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	अनुमानित लागत राशि (रुपयें में)	बोली प्रतिभूति राशि (रुपयें में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रुपयें में)	M.D RISL शुल्क (रुपयें में)	बोली प्रपत्र डाउनलोड एवं अपलोड शुरू करने की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BELASAR	843000	16860	500	500	दिनांक 13.05.2026 से 23.05.2026 11.00 बजे तक	23.05.2026 दोपहर 2.00 बजे तक	23.05.2026 दोपहर 4.00 बजे तक
2.	KATRIYASAR	986209	19724	500	500			
3.	BAMBLU	999000	19980	500	500			
4.	DANDUSAR	997000	19940	500	500			
5.	JAIMALSAR	955216	19104	500	500			
6.	JALALSAR	955000	19100	500	500			
7.	HUSANGSAR	997000	19940	500	500			
8.	KOLASAR	942000	18840	500	500			
9.	LAKHUSAR	918151	18363	500	500			
10.	KESARDESAR JATAN	914575	18292	500	500			
11.	MEGHASAR	689000	13780	500	500			
12.	SURDHANA CHOUHANAN	800000	16000	500	500			
13.	SWAROOPDESAR	855096	17102	500	500			
14.	PALANA	998989	19980	500	500			
15.	RAMSAR	991757	19835	500	500			
16.	DAUDSAR	988000	19760	500	500			
17.	KHARDA	495000	9900	500	500			
18.	JAMSAR	970000	19400	500	500			

- निविदा प्रपत्र कार्यालय ग्राम पंचायत/पंचायत समिति बीकानेर जिला बीकानेर से व्यक्तिशः अथवा <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि के मूल डी.डी./बैंकर चैक की प्रति ऑनलाईन तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर अपलोड करनी होगी। साथ ही निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैक दिनांक 23.05.2026 को 2.00 बजे तक जमा करानी होगी।
- निविदा आमंत्रण की विस्तृत सूचना मय बोली दस्तावेज ग्राम पंचायत/पंचायत समिति बीकानेर जिला बीकानेर के कार्यालय से व्यक्तिशः अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदा प्रपत्र शुल्क व अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैक सरपंच ग्राम पंचायत
/विकास अधिकारी, पंचायत समिति बीकानेर के नाम बनाना होगा एवं प्रोसेसिंग शुल्क का डी.डी./बैंकर चैक M.D RISL, Jaipur के नाम देय होगा।

51
विकास अधिकारी
पंचायत समिति बीकानेर

4. निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं प्रतिभूति राशि के डी.डी./बैंकर चैक को भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कराने वाले निविदादाताओं की ही तकनीकी बोली खोली जावेगी।
5. तकनीकी-वाणिज्यिक/क्वालिफाईड बिड दिनांक 23.05.2026 को सांय 4.00 बजे संबंधित कार्यालय ग्राम पंचायत में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।
6. यह निविदा आगामी निविदा/कार्यादेश से 1 वर्ष तक कार्य सम्पादन के लिए है।
7. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित है।

4
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर
पंचायत समिति, बीकानेर
पंचायत समिति, बीकानेर

कार्यालय ग्राम पंचायत/पंचायत समिति बीकानेर जिला बीकानेर
तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	निविदा सूचना संख्या	
2	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य
3	निविदादाता फर्म का नाम, पता मय दूरभाष/मोबाइल नं.	
4	निविदा अनुमानित लागत	राशि रु लाख (निविदा सूचना अनुसार)
5	निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण/डी.डी. नं.	राशि रु डी.डी. नं.....दिनांक
6	प्रोसेसिंग फीस का विवरण (MD RISL)	राशि रु डी.डी. नं..... दिनांक
7	अमानत राशि का विवरण/डी.डी. नं.	राशि रु डी.डी. नं.....दिनांक
8	फर्म का रजिस्ट्रेशन वर्ष व नम्बर	
9	फर्म का पेन न.	
10	फर्म का जीएसटी न.	
11	बैंक खाते का पूर्ण विवरण	
12	फर्म के पास उपलब्ध कचरा संग्रहण वाहनों का विवरण	
13	फर्म का टर्नओवर (गत तीन वर्षों का निविदा राशि का 1/3 न्यूनतम) का विवरण	
14	फर्म का कार्य अनुभव (न्यूनतम एक वर्ष सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्था में नाली/शौचालय/सीवरेज टैंक सफाई कार्य) का विवरण	

राजस्थान में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में पंजीकृत फर्मों को वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के प्रावधान अनुसार 0.5 प्रतिशत बोली प्रतिभूति का डी.डी./बैंकर्स चैक संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत/पंचायत समिति बीकानेर जिला बीकानेर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक..... हेतु मेरे/फर्म द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य है तथा उक्त निविदा की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

4
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर

कार्यालय, ग्राम पंचायतपंचायत समिति बीकानेर जिला बीकानेर

उपापन की विषय-वस्तु का विवरण

कार्य का नाम :-ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य

ग्राम पंचायत :-

ग्राम पंचायत में गावों की संख्या एवं नाम :-

पंचायत समिति :- बीकानेर

ग्राम पंचायत के अधीन गावों में परिवारों की संख्या :-

ग्राम पंचायत के अधीन सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की संख्या :-

क्र. सं.	सामग्री विवरण	मात्रा / संख्या	दर (रु.)	अनुमानित मासिक लागत राशि (रु.)
	घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।			
1.	(अ) जब वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राइवर मय PoL, संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य। (ब) जब वाहन, ड्राइवर मय PoL, श्रमिक कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाने सहित कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित कार्य) सम्मिलित है।	परिवारों की संख्या	राशि रु. प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	
2.	कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का पृथक्करण कार्य, कार्य हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य किया जावे, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित के अनुसार संवेदक से प्लास्टिक कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण/निपटान कार्य सम्मिलित है।	परिवारों की संख्या	राशि रु. प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	
3.	सड़क/बाजार/मुख्य चौक में झाड़ू एवं सफाई कार्य मय सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	वर्ग मीटर	राशि रु. प्रति वर्गमीटर	
4.	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	घन मीटर	राशि रु. प्रति घनमीटर (वैस्तविक कचरे की मात्रा अनुसार)	
5.	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य।	संख्या	राशि रु. प्रति सी. एस.सी. एक बारीयें	
			कुल योग (मासिक)	
			कुल योग (वार्षिक)	

5
विक्रम अधिकारी
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर

कार्यालय, ग्राम पंचायतपंचायत समिति बीकानेर जिला बीकानेर

क्रमांक:-

दिनांक:-

वित्तीय निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम :-ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य

फर्म का नाम :-

क्र. सं.	सामग्री विवरण	मात्रा / संख्या	दर (रु.)	अनुमानित मासिक लागत राशि (रु.)
	घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।			
1.	(अ) जब वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राइवर मय PoL, संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य। (ब) जब वाहन, ड्राइवर मय PoL, श्रमिक कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाने सहित कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित कार्य) सम्मिलित है।	परिवारों की संख्या	राशि रु. प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	
2.	कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का पृथक्करण कार्य, कार्य हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य किया जावे, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित के अनुसार संवेदक से प्लास्टिक कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण/निपटान कार्य सम्मिलित है।	परिवारों की संख्या	राशि रु. प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	
3.	सड़क/बाजार/मुख्य चौक में झाड़ू एवं सफाई कार्य मय सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे को निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	वर्ग मीटर	राशि रु. प्रति वर्गमीटर	
4.	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	घन मीटर	राशि रु. प्रति घनमीटर (वास्तविक कचरे की मात्रा अनुसार)	
5.	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, सीट, फर्श, टाइल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ-साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य।	संख्या	राशि रु. प्रति सी. एस.सी. एक बारीय	
			कुल योग (मासिक)	
			कुल-योग (वार्षिक)	

मैं/मेरी फर्म/हमारी फर्म उक्तानुसार निविदा राशि से प्रतिशत (कम/ज्यादा) पर निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य करना स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता

4
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर

निविदा शर्तें

1. निविदाएं केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी। ई-टेंडरिंग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश-

- (अ) इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों को <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।
 - (ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदा दाताओं को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट, 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी0सी0ए0 द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको पुनः लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - (स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - (द) इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
 - (य) कोई भी निविदा इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब/लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कार्यालय/विभाग नहीं होगा।
 - (र) निविदा के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करे।
2. यदि संवेदक/संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है तो अधिकृति प्रमाण पत्र (Resolution, Power Of Attorney) संलग्न करें।
 3. यह निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में उल्लेखित नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाइन आदेश, निर्देशों के अधीन रहेगी।
 4. एम.एस.एक्ट, 2013 की पालना एवं सुरक्षा उपायों तथा किसी प्रकार के मुआवजों का भुगतान स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किया जावेगा।
 5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
 6. श्रमिक द्वारा 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर दुगुनी दर से तथा 8 घंटे से कम कार्य करने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार भुगतान करना होगा।
 7. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
 8. श्रम अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं होने पर उनके विरुद्ध श्रमिक द्वारा श्रम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदादाता स्वयं के खर्च से वाद का निस्तारण करायेगा। यदि अनुबन्ध अवधि में लगाये गये श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो तो उससे होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए निविदादाता पूर्ण जिम्मेदार होगा। विभाग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 9. कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

10. फर्म द्वारा तकनीकी निविदा लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र में फर्म के पास उपलब्ध कचरा संग्रहण केन्द्र वाहनों का विवरण, फर्म का टर्नओवर (वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा 2024-25 का निविदा राशि का 1/3 न्यूनतम सनदी लेखाकार द्वारा जारी होना चाहिए), फर्म का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र (न्यूनतम एक वर्ष सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्था में नाली/शौचालय/सीवरेज टैंक सफाई कार्य) एवं अन्य दस्तावेज ऑफलाईन संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा फर्म की वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी।
11. बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेगी।
12. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाईन माध्यम से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
13. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा कार्य मशीनों के अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित कर किया जाता है तो राज्य/केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार श्रमिकों के समस्त दायित्वों (यथा EPF, ESI आदि) की पालना संवेदक द्वारा की जायेगी।
14. संवेदक को सफाई कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों को श्रम विभाग के नियमों/अधिनियमों तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अवकाश प्रदान करना होगा।
15. सफाई कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों का बीमा करवाने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
16. निविदा अवधि:- कार्यदेश जारी होने से एक वर्ष अथवा आगामी निविदा जारी होने तक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
17. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
18. जिस बोलीदाता को बोली स्वीकार की जायेगी, वह कार्यदेश जारी होने के 07 दिवस में कार्य प्रारम्भ करेगा।
19. मूल्यांकन की कसौटी - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।
20. बोलियों का अपवर्जन :- अधिनियम की धारा-25 में उल्लिखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
21. सफल निविदा दाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा कराने के पश्चात् ही कार्यदेश जारी किया जावेगा। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने या उपापन प्रक्रिया के निरस्तिकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।
22. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :-
 (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के नाम पर जमा करानी होगी एवं नियमानुसार 500/- नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
 (ब) सफल बोली दाता द्वारा बोली प्रतिभूति की राशि को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि में समायोजन की जा सकती है।

- (स.)कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 (द.)तकनीकी बिड में सक्षम निविदा/बोलीदाता की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
23. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security)बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगा :-
 (अ) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
 (ब.) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादन नहीं करता है।
 (स.) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
 (द.) जब सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करता।
 (य.) जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 (र.) जब बोलीदाता कार्य/सम्पूर्ण सेवा अदायगी सन्तोषजनक आपूर्ति करने में असफल रहा हों।
 (ल) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
24. उपापन संस्था/ग्राम पंचायत द्वारा कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं करने पर गतिविधिवार/दैनिक राशि में कटौती की जा सकेगी।
25. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :-सेवादाता फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार यदि सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो प्रतिदिन - रु. 1500/- की शास्ति लगाई जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा अनुबंध राशि से ज्यादा नहीं होगी।
26. सफाई के संबंध में प्राप्त शिकायत (Online/Offline) का निस्तारण संबंधित फर्म को 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से करना होगा अन्यथा प्रतिदिन रु. 500 का जुर्माना फर्म पर लगाया जा सकेगा।
27. सफल निविदादाता को स्वच्छता कार्य हेतु मांगे जाने पर ऐसे श्रमिक/मानव संसाधन जो परम्परागत/पूर्व में सफाई कार्य के अनुभवी व्यक्तियों या इनके समूह को प्राथमिकता के अनुसार नियोजित करना होगा।
28. भुगतान :-सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
29. कार्य का भुगतान मासिक आधार पर निम्न बिन्दुओं की पालना अनुसार किया जायेगा:-
 (अ) सफाई कार्य की ग्राम पंचायत के दैनिक रजिस्टर में प्रविष्टी/रिपोर्ट
 (ब) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट
 (स) ग्राम पंचायत में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति की रिपोर्ट
 (द) स्वच्छता कार्य की ऑनलाईन पोर्टल लागू किये जाने पर, ऐप की रिपोर्ट
30. कार्य का सत्यापन किये जाने एवं भुगतान की अनुशंषा उपरांत भुगतान मासिक आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
31. स्वीकृत बोलीदाता को ऑनलाईन ट्रेकिंग सिस्टम/पोर्टल लागू किये जाने पर वाहनों में GPS स्थापित करना होगा।
32. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किये गये कार्य का लॉगबुक/रजिस्टर (ग्राम पंचायत में संधारित) में दैनिक आधार पर इन्द्राज किया जायेगा।
33. निविदादाता को कार्य करने वाले श्रमिकों का माह के प्रथम सप्ताह में मजदूरी भुगतान करना होगा तथा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना की जायेगी।

34. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं आर.आर.सी. पर कचरे का पृथक्कीकरण, बाजार/चौक/रोड़ पर झाड़ू/सफाई एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर सफाई हेतु वाहन/श्रमिक/सफाई उपकरण आदि उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
35. निविदा की शर्तों में स्वच्छता का कार्य करने वाले श्रमिकों हेतु पी.पी.ई. किट/सुरक्षा उपकरण संवेदक द्वारा आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाये जायेंगे।
36. ग्रामीण क्षेत्र की सफाई में होने वाले समस्त प्रकार के व्यय संवेदक द्वारा वहन किये जायेंगे (जैसे डंडे वाली झाड़ू, फावड़े, परात, कसिया, डस्टबिन, पुशकार्ट, हैंड ग्लब्स, मास्क, सेफ्टी जूते, ऑवर कोर्ट, सबल परिवहन के साधन का मैन्टीनेंस आदि)।
37. कचरे के निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड/आर.आर.सी. का स्थान निविदा प्रपत्र में तय किया जायेगा। आर.आर.सी./तय स्थान से दुरी अधिक होने पर अनुपातिक रूप से भुगतान देय होगा।
38. संवेदक के पास-सफाई कर्मचारियों हेतु काम में लिये जाने वाले उपकरण तथा सामान अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्थिति में होंने चाहिए।
39. सामुहिक/सामाजिक/धार्मिक/शादी/मांगलिक आदि समारोह एवं हाट बाजार में उत्पन्न कचरा का निस्तारण संवेदक द्वारा किया जायेगा।
40. सड़क/सार्वजनिक स्थान पर पेड़ों के पत्ते, छोटे कंकड़ पत्थर आदि की सफाई कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। बड़े पत्थर का मलबा आदि का निस्तारण संबंधित द्वारा अलग से किया जायेगा।
41. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के बाड़े/तबैले के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर सफाई संवेदक द्वारा की जायेगी।
42. राजकीय विद्यालयों के बाहर एवं कमरों के बाहर अर्थात् चारदिवारी के अन्दर के सार्वजनिक परिसर में कचरा संग्रहण कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि स्वच्छता हेतु अनुदान या अन्य कोई राशि का व्यय इस कार्य हेतु नहीं किया गया हो।
43. सामुदायिक स्वच्छता परिसर में निर्धारित टॉयलेट सीट/यूरिनल आदि (पुरुषों एवं महिलाओं की अलग-अलग शौचालय सीट एवं यूरिनल, वॉश-बेसिन आदि) के अतिरिक्त सीट /यूरिनल की सफाई करने पर पृथक से भुगतान देय होगा।
44. निविदा में वर्णित कार्य का समय प्रातः से बजे तक रहेगा तथा समय परिवर्तन आपसी बातचीत से सरपंच/ग्रा.वि.अ. के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
45. कचरे का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण एवं निस्तारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आर.आर.सी. पर किया जायेगा, जिसमें प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सम्मिलित है। प्लास्टिक कचरे का निस्तारण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के अनुसार करना होगा।
46. कचरे का परिवहन ट्राली में करते समय कचरा ढक कर ले जाना होगा।
47. स्वच्छता कार्यों के लिए ग्रामीणों द्वारा प्राप्त शिकायत का निस्तारण ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा तथा इस संबंध में अपील अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को की जा सकती है। अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
48. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार Procuring Entity (ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद/अन्य सक्षम प्राधिकारी) के पास सुरक्षित रहेगा।
49. निविदा संबंधित विवादों का न्याय क्षेत्र बीकानेर जिला बीकानेर होगा।
50. स्वच्छता का कार्य करने वाले स्वच्छता मित्रों हेतु सुरक्षा उपकरण/पी.पी.ई. किट उपलब्ध कराने का दायित्व संवेदक का रहेगा। यदि संवेदक द्वारा उक्त उपकरण/किट उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो स्वच्छता मित्रों हेतु सुरक्षा उपकरण/पी.पी.ई. किट ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये जा सकते हैं तथा राशि का पुनर्भरण संवेदक के बिल से किया जायेगा।

4

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर

51. सफल निविदादाता को स्वच्छता कार्यो हेतु मांगे जाने पर ऐसे श्रमिक/मानव संसाधन जो परम्परागत कार्य करने वाले पूर्व में सफाई कार्य के अनुभवी व्यक्तियों या इनके समूह को प्राथमिकता के अनुसार नियोजित करना होगा।
52. घर-घर कचरा संग्रहण हेतु निम्नानुसार वाहनों के विकल्प उपयोग में लिये जा सकते हैं:-
ई-रिक्शा
टीपर (पेट्रोल/डीजल चालित वाहन)
छोटा ट्रेक्टर मय ट्रौली (पेट्रोल/डीजल चालित वाहन)
ट्रेक्टर मय ट्रौली (पेट्रोल/डीजल चालित वाहन)
अन्य वाहन
53. स्वच्छता कार्यो की मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर से ग्रामीण स्वच्छता पोर्टल / ऐप तैयार किया जाना प्रस्तावित है। पोर्टल/ऐप प्रारम्भ होने के पश्चात स्वच्छता कार्यो की मॉनिटरिंग पोर्टल/ऐप के माध्यम से की जाए।
54. सामुदायिक स्वच्छता परिसरों हेतु पानी/बिजली की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी।
55. ग्राम पंचायतों के लिए घर-घर कचरा संग्रहण से एकत्रित कचरे का निस्तारण करने हेतु आर. आर. सी/डम्पिंग यार्ड हेतु भूमि का आवंटन राजस्व विभाग के माध्यम से करवाया जाए। इस हेतु ग्राम पंचायतों को कलस्टर तैयार कर एक स्थान पर भी कचरे का निस्तारण किया जा सकता है।
56. कचरे का परिवहन ट्रौली में करते समय कचरा ढक कर ले जाना होगा।
57. ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भवन (पंचायत घर, आँगनबाड़ी भवन, विद्यालय, पटवार भवन एवं अन्य सरकारी परिसर) की नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु संबंधित संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे।
58. संवेदक द्वारा संग्रहित कचरा /पृथक्कीकरण के पश्चात अवशेष कचरे को खुले में नहीं जलाया जायेगा ना ही खुले में फेंका जायेगा। जलाने/फेंकने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की सकेगी। डम्पिंग यार्ड से आशय आर.आर.सी से है।
59. ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों/सड़क पर पड़े कुड़ा/करकट का निस्तारण ग्राम पंचायत द्वारा 24 घंटे में किया जायेगा।
60. ग्राम पंचायतों में निराश्रित, असहाय सड़क पर पड़े पशुओं हेतु चारे पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा की जायेगी तथा इस संबंध में संबंधित पशु विकित्सक को अवगत करवाया जायेगा।
61. ग्राम पंचायतों में वर्षा के मौसम के समय पूर्व एवं पश्चात अभियान चलाकर नाली/ सड़क / सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जायेगी।
62. राजकीय विद्यालयों के बाहर एवं कमरे के बाहर अर्थात चारदिवारी के अन्दर के सार्वजनिक परिसर में कचरा संग्रहण कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि स्वच्छता हेतु अनुदान या अन्य कोई राशि का व्यय इस कार्य हेतु नहीं किया गया हो।
63. सार्वजनिक स्थानों पर रेवडी/रोडी/गोबर के ढेर का निस्तारण अभियान चलाकर ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
64. 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संलग्न प्रपत्र प्रारूप में शपथ पत्र ऑफ लाईन-तकनीकी लिफाफे में निविदा दस्तावेजों के साथ भी प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
65. निविदा प्रपत्र के समस्त दस्तावेजों की फर्म द्वारा हस्ताक्षरित प्रति (वित्तीय बिड के अलावा) कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के साथ संलग्न दस्तावेजों के अपेक्षित कॉलम स्पष्ट होने चाहिए इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
66. निविदा पर आरटीपीपीआर नियम 2013 एवं नियमों के तहत जारी नियम/उपनियम व पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी नियम/अधिसूचनाएं/आदेश लागू रहेंगे।

मेरे द्वारा उपर्युक्त शर्तों को अक्षरशः पढ़ व समझ लिया गया है एवं उक्त शर्तों की पालना करते हुए मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी शर्तों पर आप द्वारा वांछित सामग्री/सेवा निविदा में वर्णित स्पेसिफिकेशन के अनुसार उपलब्ध कराने को सहमत हूँ।

5
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, दीकानेर

हस्ताक्षर निविदादाता

पता

शपथ पत्र

(100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उम्र.....

निवासी तहसील..... जिला..... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. मेरी फर्म/कम्पनी का नाम है।
2. मेरी फर्म/कम्पनी का जी0 एस0 टी0 पंजीयन संख्या है।
3. मैं इस फर्म /कम्पनी का प्रोपराइटर/ अधिकृत प्रतिनिधि हूँ ।
4. मेरी फर्म/कम्पनी किसी भी सरकारी विभाग/राजकीय उपक्रम/स्वायतशासी संस्था/सरकारी निगम/प्राइवेट संस्था मे ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
5. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा सभी प्रकार के कर समय पर संबंधित विभाग मे जमा करवाये जाते है।
6. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार संलग्न किये गये वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 मे से किसी भी एक वित्तीय वर्ष मे निविदा की अनुमानित लागत का 1/3 टर्नओवर एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के चतुर्थ तिमाही की जी.एस.टी. रिटर्न जमा करवाये जाने के अधिकृत दस्तावेज हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/फर्म..... के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सत्य है ।

उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है । कोई भी कथन असत्य पाए जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी ।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है ।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

4
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, दीवानेर

(TO BE ISSUED BY PRACTISING CHARTERED ACCOUNTANT ON THE LETTER HEAD)

To
Tender Inviting Authority/Block Development Officer
Panchayat Samiti-----

Date:

Dear Sir,

Sub: Certificate for participation in Tenders issued by Gram Panchayat..... /Panchayat Samiti.....

This is to certify that M/s _____ (Agency Name & Address)
are in the business of contracts execution for _____ completed years (considered upto march).
This is further certified that the above Turnover is in line with the Turnover declared by the Agency in
their Audit Report/Income Tax Returns filed under PAN No: _____

and

The above Turnover is in line with GST Returns submitted by the Agency under GSTIN No:
_____ which are verified by us.

And

This is further certified that M/s _____ (Agency Name & Address)
has filed its GSTR for the month/quarter (as applicable) for the period ending march 2025 referred as
below

S.No.	Particular	Periodicity	Date of filing
1.	GSTR 1	Qrtly/Monthly	
2.	GSTR 3B	Monthly	
3.	GSTR 4	Qrtly	

And

This is further certified that M/s _____ (Agency Name &
Address) has filed its ITR for the preceding 03 (three) years are referred as below

S.No.	Particular	Periodicity	Date of filing
1.	ITR fy 2021-22	Yearly	
2.	ITR fy 2022-23	Yearly	
3.	ITR fy 2023-24	Yearly	

Also we hereby certify that the above mentioned entity has '**NO OUTSTANDING STATUTORY DUES**'

as on the date of signing of this certificate for the period ending as on 31 March

Place:

Date:

UDIN:

Chartered accountant
Membership No

Signature with Seal

4
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर

निविदादाता द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी-भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participate as Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date
Place

signature of bidder
name

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति बीकानेर

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled by/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have , my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding Document, which materially affects fair competition;

Date
place
designation
Address

signature of bidder
name

५
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर

Annexure C: Grievance Redressal during procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

1 Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provision of the Act of the rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceeding: Provided further that in case a procuring Entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, An appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2) or if the bidder or prospective bidder of the procuring entity, is aggrieved by the order passed by the first appellate authority the bidder or prospective bidder or the procuring entity as the case may be may file a second appeal to second Appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain case

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters namely:-

- (a) determination of need of procurement
- (b) provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiation
- (d) cancellation of procurement process
- (e) applicability of the provisions of confidentiality

5 form of appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to first appellate Authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filling appeal

- (a) Free for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate authority or second appellate authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority as the case may be, shall
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub clause (c) above shall also be placed on the state public procurement Portal.

4
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर

FORM No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....Before the..... (First /second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. name and address of the respondent

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. if the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place.....

Date.....

Appellant's Signature

Date

Place

Designation

Address

signature of bidder

name

4
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर